श्रीमती अनीता देवी, माननीया स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–18/2/375 का उत्तर प्रतिवेदन

क्र०	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	
1.	क्या यह बात सही है कि वर्ष 2018–19 में केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली द्वारा जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के सकरी–नाटा नदी जोड़ो योजना का डी०पी०आर० रिवीजन करने के लिए वापस भेजा गया है, परन्तु आज तक डी०पी०आर० रिवीजन का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है;	वस्तुस्थिति यह है कि :– नवादा जिले में बकसोती ग्राम के निकट सकरी एवं नाटा नदी पर बराज का निर्माण कर एवं दोनों बराजों के अपस्ट्रीम से लिंक नहर का निर्माण कर सकरी–नाटा लिंक योजना तैयार की गयी थी। दिनांक 28.06.2018 को केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में झारखंड एवं बिहार राज्य के अधिकारियों के साथ सम्पन्न बैठक में सकरी सब बेसिन से 159.20 MCM सतही जल का उपयोग करने पर सहमति बनी। इसके अतिरिक्त नाटा नदी का 16.59 MCM सतही जल एवं भू–गर्भ जल का संयुक्त उपयोग करते हुए पुनरीक्षित योजना प्रतिवेदन तैयार करने का निर्णय लिया गया। इस क्रम में सकरी नदी पर पौरा वीयर के Down Stream में दरियापुर वीयर का निर्माण किया गया तथा दरियापुर वीयर के Down Stream में सदरपुर वीयर का निर्माण किया गया। मुख्य अभियंता, समग्र योजना अन्वेषण एवं योजना आयोजन, पटना द्वारा भी प्रतिवेदित किया गया है कि सकरी नदी में Water Availability शून्य रहने के कारण प्रश्नगत योजना तकनीकी रूप से सम्भाव्य नहीं है। सकरी–नाटा लिंक योजना तकनीकी रूप से सम्भाव्य नहीं पाये जाने के कारण इस योजना को बंद करने हेतु आवश्यक कार्रवाई के लिए केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली को दिनांक 28.02.2025 को सूचित किया जा चुका है। वर्तमान में प्रश्नगत योजना के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है।
2.	क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार की नदी जोड़ योजनान्तर्गत नवादा जिला में सकरी–नाटा नदी जोड़ो योजना से नहीं जुड़े होने के कारण प्रखण्ड–अकबरपुर, नवादा, रोह, कौवाकोल, वारिसलीगंज, पकरीवरावाँ, काशीचक सहित शेखपुरा जिला के प्रखण्ड–अरियरी, चेवाड़ा एवं शेखपुरा के 40000 चालीस हजार हेक्टयर कृषि योग्य भूमि में सिंचाई नहीं हो पाती है;	
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार कबतक सकरी–नाटा नदी जोड़ो योजना का डी०पी०आर० रिवीजन कर केन्द्रीय जल आयोग से स्वीकृत करवाकर इस योजना को कार्यान्वित करवाने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक :– 26 / वि0स0–07–02 / 2026 पटना / दिनांक ....

प्रतिलिपि :–उप सचिव (प्रश्न विविध), बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना को तारांकित प्रश्न सं0–18 / 2 / 375 का अनुमोदित उत्तर प्रतिवेदन पाँच प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(अनिल कुमार पाण्डेय)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :– 26 / वि0स0–07–02 / 2026 पटना / दिनांक :..

प्रतिलिपि : उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(अनिल कुमार पाण्डेय)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :– 26 / वि0स0–07–02 / 2026 पटना / दिनांक :..

प्रतिलिपि : अधीक्षण अभियंता, यो0 एवं मो0 अंचल–03, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(अनिल कुमार पाण्डेय)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :– 26 / वि0स0–07–02 / 2026 1125 पटना / दिनांक : 23/2/26

प्रतिलिपि : प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–17, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना एवं कार्यपालक अभियंता आई0टी0 सेंटर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/2/26
(अनिल कुमार पाण्डेय)
सरकार के उप सचिव